



2026:AHC:39584

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 2630/2026

महेंद्र

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अन्जली सिंह, नसीम रुफी क्यू अलराफियो,

बी.एम.मुग्गानी, शिखा सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति वन विभाग में माली/वाँचर के पद पर वर्ष 1984 में हुई थी और दावा यह है कि वह बिना किसी व्यवधान के अपने वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संतुष्टि पर निरंतर कार्य कर रहा है, तथापि, रिट याचिकाकर्ता को वेतनमान का न्यूनतम आवंटित और प्रदान नहीं किया गया है और इस संबंध में उसने दिनांक 08.01.2026 को प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, देवरिया के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है, किंतु कोई निर्णय नहीं किया गया है।

3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना रिट याचिकाकर्ता को वेतनमान का न्यूनतम प्रदान करने के लिए है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य अधिशासी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जो भी प्रश्न उठ सकता है, वह यह होगा कि क्या रिट याचिकाकर्ता पहले से ही कार्यरत है और उसके अधिकार क्या हैं, इन प्रश्नों की जांच पहले तीसरे प्रतिवादी, प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, देवरिया द्वारा किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार, उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

5. ऐसे प्रस्तुतीकरण पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. न्यायाधीश पीठ के समक्ष इस प्रकार किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 10.03.2026 तक तीसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए किया जाता है। उक्त प्रार्थना पर, तीसरा प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता के अधिकारों और दावे की जांच करेगा और उसके पश्चात दो माह की अवधि के भीतर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा, और यदि, रिट याचिकाकर्ता **रिट याचिका संख्या 12358 / 2019 (राम नरेश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), रिट याचिका संख्या 18119 / 2019 (राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), रिट याचिका संख्या 18693 / 2020 (मोहम्मद सहीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य),**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिट याचिका संख्या 2844 / 2023 (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के निर्णय के आलोक में उक्त लाभों का अधिकारी है, तो उक्त लाभ रिट याचिकाकर्ता को यथाशीघ्र विधि के अनुसार प्रदान किए जाएं।

23 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”